न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 56/2020

अनुवान धर्मचन्द बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.10.2020

धर्मचन्द पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बुकनसर बडा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

—वादी—

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री महावीर प्रसाद नेहरा वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत ख0 नं0 1062 तादादी 3.7400 हैक्टेयर, ख0 नं0 1119/573 तादादी 1.2000 हैक्टेयर, ख0 नं0 570 तादादी 1.9000 हैक्टेयर, ख0नं0 571 तादादी 0.2300 हैक्टेयर कुल तादादी 7. 0700 हैक्टेयर एवं ख0 नं0 264 तादादी 6.3700 हैक्टेयर, ख0नं0 479 तादादी 5.3100 हैक्टेयर, ख0 नं0 554 तादादी 7.2200 हैक्टेयर कुल तादादी 18.9000 हैक्टेयर रोही मौजा बुकनसर बड़ा तहसील सरदारशहर में स्थित है जिसमें वादी का नाम धर्माराम पुत्र जेठाराम दर्ज है जो कि अशुद्ध है वादी का शुद्ध नाम धर्मचन्द पुत्र जेठाराम है।

वादी के पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकॉर्ड में भूलवश वादी का आम बोलचाल का नाम धर्माराम पुत्र जेठाराम अंकित कर दिया गया जबकि वादी का शुद्ध नाम धर्मचन्द पुत्र जेठाराम है। वादी के पिता के धर्माराम नाम की कोई संतान नहीं थी वादी को ही धर्माराम और धर्मचन्द दोनो नामों से जाना जाता है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अशुद्ध होने से वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.06 12:56:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी के दस्तावेज–राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक, टी.सी. आदि दस्तावेजों में वादी का नाम धर्मचन्द अंकित है। जो वादी का शुद्ध व सही नाम है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम धर्माराम दर्ज है जो कि अशुद्ध है। जिसे संशोधित करवाकर वादी अपना नाम धर्मचन्द दर्ज करवाना चाहता है जिसको संशोधित करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी का वास्तविक शुद्ध नाम धर्मचन्द है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम धर्माराम अंकित होने से वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादी राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध दर्ज अपने नाम धर्माराम में संशोधन करवाकर उसके स्थान पर शुद्ध एवं सही नाम धर्मचन्द दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादी ने के.सी.सी. बनवाने के लिए पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने की दिनांक से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादी तहसीलदार सरदारशहर से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम धर्माराम के स्थान पर सही नाम धर्मचन्द दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि ग्राम बुकनसर बड़ा तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित होने से दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

वादी ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि खेत ख0 नं0 1062 तादादी 3.7400 हैक्टेयर, ख0 नं0 1119/573 तादादी 1.2000 हैक्टेयर, ख0 नं0 570 तादादी 1.9000 हैक्टेयर, ख0नं0 571 तादादी 0. 2300 हैक्टेयर कुल तादादी 7.0700 हैक्टेयर एवं ख0 नं0 264 तादादी 6.3700 हैक्टेयर, ख0नं0 479 तादादी 5.3100 हैक्टेयर, ख0 नं0 554 तादादी 7.2200 हैक्टेयर कुल तादादी 18.9000 हैक्टेयर रोही मौजा बुकनसर बड़ा तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम धर्माराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम धर्मचन्द पुत्र जेठाराम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम धर्माराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम धर्मचन्द पुत्र जेठाराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.06 12:56:45 IST
Reason: SelfAttested

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 1062, 1119/573, 570, 571 की छायाप्रति।
2. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 264, 479, 554 की छायाप्रति।
3. वादी के पैन कार्ड की छायाप्रति।
4. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
6. वादी के ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति।
7. वादी के भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
8. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
9. वादी के पासपोर्ट की छायाप्रति।
10. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
11. ट्रांस्फर सर्टिफिकेट की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम धर्मचन्द पुत्र जेठाराम अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि खेत ख0 नं0 1062 तादादी 3.7400 हैक्टेयर, ख0 नं0 1119/573 तादादी 1.2000 हैक्टेयर, ख0 नं0 570 तादादी 1.9000 हैक्टेयर, ख0नं0 571 तादादी 0.2300 हैक्टेयर कुल तादादी 7.0700 हैक्टेयर एवं ख0 नं0 264 तादादी 6.3700 हैक्टेयर, ख0नं0 479 तादादी 5.3100 हैक्टेयर, ख0 नं0 554 तादादी 7.2200 हैक्टेयर कुल तादादी 18.9000 हैक्टेयर रोही मौजा बुकनसर बड़ा तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम धर्माराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम धर्मचन्द पुत्र जेठाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	बुकनसर बड़ा	1062, 1119/573, 570, 571, 264, 479, 554	धर्माराम पुत्र जेठाराम	धर्मचन्द पुत्र जेठाराम

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.06 12:56:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 56/2020
अनुवान धर्मचन्द बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महावीर प्रसाद नेहरा एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि खेत ख0 नं0 1062 तादादी 3.7400 हैक्टेयर, ख0 नं0 1119/573 तादादी 1.2000 हैक्टेयर, ख0 नं0 570 तादादी 1.9000 हैक्टेयर, ख0नं0 571 तादादी 0.2300 हैक्टेयर कुल तादादी 7.0700 हैक्टेयर एवं ख0 नं0 264 तादादी 6.3700 हैक्टेयर, ख0नं0 479 तादादी 5.3100 हैक्टेयर, ख0 नं0 554 तादादी 7.2200 हैक्टेयर कुल तादादी 18.9000 हैक्टेयर रोही मौजा बुकनसर बड़ा तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम धर्माराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम धर्मचन्द पुत्र जेठाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज.....................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 10 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.06 12:56:45 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.06 12:56:45 IST
Reason: SelfAttested